न्यायालय अपर जनपद न्यायाधीश, त्वरित प्रथम, अम्बेडकरनगर।

सिविल निगरानी संख्या–13/2020

राजाराम आदि बनाम जसमत्ती आदि।

दिनांक 01.10.2022

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर उभयपक्ष उपस्थित। उभयपक्ष द्वारा प्रा०पत्र 18 क 1 के निस्तारण पर बल दिया गया। उभयपक्षों को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

निस्तारण प्रा०पत्र 18 क 1–

उक्त प्रा०पत्र कागज सं०–18 क 1 मय शपथपत्र अंतर्गत धारा–22 नियम 4 व 6 नियम 17 जा०दी० निगरानीकर्ता की ओर से इस आशय से प्रस्तुत किया गया है कि प्रतिउत्तरदाता संख्या–1 जसमत्ती देवी की मृत्यु दिनांक 03.04.2021 ई० को हो गयी है उनकी नज़दीक तरीन जायज वारिसान व कायम मुकामान उनके लड़के दिलीप कुमार, धर्मेन्द्र, अनिल कुमार, रामचन्द्र भानू प्रताप एवं पूर्वमृत स्व० प्रदीप कुमार के लड़के अंकित कुमार व विकास कुमार तथा मृतक प्रदीप कुमार की विधवा इसलावती है। इनके अलावा मृतका का अन्य कोई वारिस व कायम मुकाम नहीं है। इस प्रार्थना के पूर्व कायम मुकामी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था जो स्वीकार हुआ था और उसका तरमीम भी निगरानी मेमो में हो गया था परन्तु प्रतिउत्तरदाता की ओर से एक आपत्ति आयी जिसे स्वीकार करके माननीय न्यायालय ने पुनः कायम मुकामी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। अतः प्रार्थना की गई है कि निगरानी मेमो में तत्सम्बंधी संशोधन करने की अनुमति प्रदान की जावे।

प्रत्यर्थीपक्ष द्वारा मौखिक रूप से विरोध किया गया है।

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रत्यर्थीपक्ष द्वारा प्रस्तुत आपत्ति के अनुक्रम में प्रा०पत्र प्रस्तुत किया गया है। उल्लिखित व्यक्तियों के सम्बंध में निगरानी मेमो में संशोधन की अनुमति याचित की गई है। चूंकि आपत्ति के प्रकाश में उक्त संशोधन प्रस्तुत किया गया है। अतः न्यायहित में प्रा०पत्र स्वीकार होने योग्य है।

आदेश

प्रा०पत्र का०सं० 18 क स्वीकार किया जाता है। वांछित संशोधन अंदर सप्ताह हो। नवीन वारिसान को नोटिस जारी हो। पत्रावली वास्ते सुनवाई दिनांक 17.10.2022 को पेश हो।

दिनांकः 01.10.2022

(अभिषेक कुमार श्रीवास्तव)
अपर जिला न्यायाधीश,
त्वरित प्रथम, अम्बेडकर नगर।
जे०ओ० कोड–(UP 1561)

Digitally signed by Abhishek Kumar Srivastav
Date: 2022.10.03 16:54:01 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court